



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन, लखनऊ
CIN:U32201UP1999SGC024928

सं०- 101-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2016- 84-पी/86

दिनांक: 1, फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-745-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2010-84-पी/86 दिनांक 11.06.2010, सं०-1655-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2010- 84-पी/86 दिनांक 10.11.2010 एवं सं०-901-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011-84-पी/86 दिनांक 01.10.2011 द्वारा शक्ति भवन (मुख्यालय) एवं शक्ति भवन विस्तार में तैनात सुरक्षा गार्ड/हेड गार्ड/अग्निशमन रक्षकों को उपरोक्त उल्लिखित कारपोरेशन आदेशों द्वारा रू० 300/-प्रतिमाह की दर से अनुमन्य कराया गया पौष्टिक आहार भत्ता को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.01.2016 को सम्पन्न 121(24) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा रू० 600/-प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त पौष्टिक आहार भत्ता की पुनरीक्षित दरें तत्काल प्रभाव, अर्थात् आदेश निर्गमन की तिथि से लागू होंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या: 101-(i) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद-पारेषण-II), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. संयुक्त सचिव (स०प्र०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता (मु०), पारेषण-II, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यान्त्रिक इकाई (पेंशन सेल), प्रथम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अनुसचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. लेखा इकाई (वेतन एवं लेखा) केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 18.01.2016 को सम्पन्न 121(24) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

भवदीय,

04/02/16
(बी०के० खरे)

अपर सचिव (द्वितीय)